न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 74/2019
प्रविष्टि दिनांक 18–9–2019

भेरू पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम बारेड़ा पंचायत व पटवार हल्का बस्सी तहसील निवाई जिला– टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 16–8–2019 मिसल नम्बर 609/2019

उपस्थिति : (1) श्री बसंन्त कुमार जेन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 20–10–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16–8–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि किस्म बारानी–3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में डोल लगा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 3/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। [illegible] भी कब्जा नहीं रहा बल्कि अवैधानिक रूप से रिपोर्ट की गई है जो वि[illegible]ान के विपरीत है। अपीलान्ट को गवाह पेश करने का अवसर न[illegible]क 13–8–2019 को अपीलान्ट की उपस्थिति जरिए [illegible] दर्ज क[illegible]थी किन्तु कोई आगामी पेशी सुनवाई हेतु नहीं दी तथा अपीला[illegible] कार्यवाही कर निर्णय [illegible]कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:46:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दिया जो विधि एंव विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय के बारे में भी नहीं बताया निर्णय की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर हुई जिसके बाद अपीलान्ट ने तुरन्त दिनांक 11–9–2019 को अविलम्ब नकल की दरख्वास्त पेश कर नकल प्राप्त की एंव डिले कन्डोन हेतु दफा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–8–2019 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि किस्म बारानी–3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में डोल लगा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1066/16 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अपीलान्ट ने राजकीय भूमि किस्म बारानी–3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में डोल लगा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1066/16 से बेदखल किया गया था जो पटवारी हल्का के बयान व रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–8–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:46:53 IST
Reason: SelfAttested